release of Rs. 128.28 lakhs to the Government of Kerala. Fifty per cent of the assistance is in the form of loan and fifty per cent as Grant-in-aid as per the guidelines of the scheme.

खाद्यान्नों पर राज-सहायता

502. श्री राज मोहिन्दर सिंह:
श्री कपिल सिब्बल:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्यान्नों पर राज-सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान इस संबंध में राज-सहायता के रूप में प्रदान की गई धनराशि का क्या अनुमान है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादकों से गेहूं व धान किस-किस मूल्य पर खरीदे गए थे; और

(घ) उपरोक्त वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की गेहूं और चावल की इकोनोमिक कॉस्ट कितनी रही?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) 1996-97, 1997-98 के दौरान और चालू वर्ष में आज तक भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडि के प्रति क्रमशः 5166 करोड़ रुपये, 7500 करोड़ रुपये और 7959 करोड़ रुपये अदा किए गए है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान गेहूं और चावल की वसूली लागत और भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की गई गेहूं और चावल की इकनामिक लागत निम्नानुसार थी:—

(रुपये क्विंटल)

पद	1996-97 (अनंतिम/वास्तविक)		1997-98 (संशोधित अनुमान)		1998-99 (बजट अनुमान)	
	न्यूनतम समर्थन मूल्य	इकनामिक लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	इकनामिक लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	इकनामिक लागत
गेहूं धान/चावल	380	640.16	475*	800.50	510**	807.95
(i) साधारण	380		415		440	
(ii) बढ़िया	395	847.69	—	940.40	—	980.36
(iii) उत्तम	415		—		—	
(iv) ग्रेड "ए"	—		445		470	

नोट: 1. 1997-98 और इसके बाद से बढ़िया और उत्तम श्रेणियों को ग्रेड "ए" में परिवर्तित कर दिया गया था।
2. जब न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए हो तो चावल के लिए इकनामिक लागत भारित लागत है।
*इसमें 60 रुपये का बोनस शामिल है।
**इसमें 55 रुपये का बोनस शामिल है।

Kerala Government's request for release of Rs. 1.50 lakhs for purchase of computer

503. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether State Government of Kerala has requested for release of Rs. 1.50 lakhs for the purchase of a computer and its accessories to be installed at the Commissionarate of Civil Supplies in Kerala under centrally sponsored scheme; and

(b) if so, the details and decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Kerala had sought financial assistance of Rs. 1.50 lakhs under the Central Plan scheme of "Training Research and Monitoring" for purchase of a computer and its accessories for networking of the office of Commissioner of Civil Supplies in Kerala with the National Informatics Centre. The proposal has been approved and sanctions issued recently for release of Rs. 1.35 lakhs as first instalment of the Grant-in-aid.

Registration of brands of agricultural products

504. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any foreign company applied or got any brands registered for rice, wheat or other agricultural products;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any Indian company also got some brands registered for the above products; if so, the product-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. Both Indian and Foreign Companies have registered/applied for registeration of the same or similar makes in respect of rice, wheat, etc.

(b) and (c) Information is being collected.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल का बिक्री मूल्य

505. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो घोषणानुसार सरकार ने राज्य सरकार को बेचे जाने हेतु गेहूं और चावल की कितनी-कितनी कीमत तय की है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अपने उपभोक्ताओं को गेहूं और चावल और अधिक मूल्य पर बेचेंगी; और

(घ) यदि हां, तो देश में औसत उपभोक्ता विक्रय मूल्य के संबंध में क्या अनुमान है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) का 29.1.1999 से केवल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए निम्नानुसार संशोधन किया गया है:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
गेहूं	650 रुपये	
चावल साधारण	700 रुपये	केवल जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू है।
ग्रेड "ए"	905 रुपये	